

राजस्व वाद GCMS नंबर 2020/00113 बअनवान हंसाराम बनाम तहसीलदार बाली
वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामिल
में जारी हुये

तारीख
हुकम

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उपस्थित।
पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अध्ययन किया गया। पत्रावली की
आदेशिकाओं के अवलोकन से ज्ञात है कि दिनांक 18.01.2024 से
पत्रावली वादी शहादत में चल रही है। दिनांक 18.11.2024 से
आदिनांक तक वादी की ओर से एक भी मौखिक साक्ष्य पेश नहीं
किया गया है। यहां तक कि आदेशिका दिनांक 07.07.2025 से
कॉस्ट पर वादी अधिवक्ता को तकरीबन 9 समयअवसर दिये गये।
इसके बावजूद किसी प्रकार के साक्ष्य पेश नहीं किये है। जिससे
वादी का उक्त वाद आदेश 9 नियम 2, 5 सीपीसी के प्रावधानों के
तहत चलने योग्य नहीं रहने से वादी द्वारा ग्राम टीपरी के खसरा
नंबर 464 रकबा 1.00 हैक्टर के संबंध में प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा
88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया
जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



सहायक जज एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

डिक्री बमुकदमें इबादाई
(ओ. 20 रूल 6, 7 जाबा दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास श्री दिनेश विश्‍नोई, आर.ए.एस.

वादी :-

हंसाराम पुत्र दरगाराम जाति भांबी(मेघवाल) निवासी पांचलवाडा तहसील बाली

बनाम

प्रतिवादी :-

तहसीलदार (भूमिधारी) बाली जरिये राजस्थान सरकार तहसील बाली जिला पाली (राज)

राजस्व वाद प्रकरण संख्या Gcms No. 2020/00113
वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष हाजरी वकील वादी व पेरोकार सरकार पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-
पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात वादी का उक्त वाद आदेश 9 नियम 2, 5 सीपीसी के प्रावधानों के तहत चलने योग्य नहीं रहने से वादी द्वारा ग्राम टीपरी के खसरा नंबर 464 रकबा 1.00 हैक्टर के संबंध में प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी किया।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख
मोहर

को जारी किया गया।



(दिनेश विश्‍नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली